

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद

अनुमति-पत्र

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि इस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इसके किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिलिपियों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री पुष्पावती यादव

पिता/पति का नाम श्री जय प्रवेश मुखरना प्लॉट न० 50/12-41 वार्ड नम्बर 10 में सिटी स्थित स्थान पर गृह निर्माण के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के विहित मरम विन के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।



22/12/2015
सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

नोट :- 1-यह स्वीकृति पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्राथी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण को अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को नष्ट दिशा जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिशा जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत धनवाने वाले से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2-इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राविकृतन जैसे कि पोस्टि का, बारडा, तोड़िया, सीढ़ी, साप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण का स्वीकृति पाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।

3-मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवादे पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण डक गई हो) की हानि पहुँचे तो गृह स्वामी गृह तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शोश कदा तो पहले ही उसे भवने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था अथवा विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो बाय, में कर देगा।

4-गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रक्षता होना कि भारतीय विद्युत अधिनियम (1956 (इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी वशा में न होना चाहिये। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

5-प्राथी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आवार होने से पूर्व देना होगा तथा उस आवार का नाम भी देना होगा जिसके निरोक्षण से मकान निर्मित हुआ है।






6-यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दो बरस स्वीकृति रद्द भनसी

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

OWNERS
 (1) SRI PRINSHARTE
 (2) SRI PRINSHARTE
 (3) SRI PARVATHI
 (4) SRI LEE CHAN RAJKESH

SCALE 1:100

EXISTING AND COMPOUNDING PLAN OF PART OF HOUSE NO. 38
 (NEW) ALBERT ROAD SARDAAR PATEL MARG ON SITE NO. 188/C
 CIVIL STATION, ALAHABAD



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PROJ. ENGR. K. S. SINGH